शिक्षक-शिक्षा और प्रबन्धन : नीति, व्यवहार और विकल्प

बी.एस. ऋषिकेश

शिक्षा का क्षेत्र चर्चाओं-संवादों से भरा है। ये आमतौर पर बेनतीजा होते हैं क्योंकि एक ऐसी पोजीशन ले ली जाती है जिसकी बुनियाद में अदूरदर्शी विचार और सीमित-संकुचित लक्ष्य होते हैं। दिक्कत यह भी है कि यह प्रमाण मिलने पर भी कि इसके विपरीत विचार अधिक कारगर तौर पर काम करता है, इस पोजीशन को पूरे जोर से पकड़कर रखा जाता है। लेकिन एक बात है जिस पर सभी हितधारक सहमत हैं – शिक्षा में बेहतरी के लिए प्रमुख पहलू 'शिक्षकों की गुणवत्ता' का है।

परिदृश्य को समझना

इस समय शिक्षा के काम में 85 लाख शिक्षक करीब 15 लाख स्कूलों में लगे हैं और वे कक्षा 1 से 12 तक के 26 करोड़ बच्चों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इनमें से 50 लाख प्राथमिक स्कूलों में हैं।

तालिका 1 : भारत में स्कूल, प्रवेश-संख्या और शिक्षक

स्कूल-प्रकार	स्कूल	प्रवेश-संख्या/दाखिला	शिक्षक
सरकारी (अनुदान-प्राप्त समेत)	1196658	174765189	5808273
सब तरह के प्रबन्धन (सरकारी तथा निजी)	1522346	260596960	8691922

(स्रोत: U-DISE 2014-15)

किसी भी दृष्टि से यह एक बहुत बड़ी संख्या है। इन शिक्षकों ने इस देश के 18,000 से भी अधिक शिक्षक-शिक्षा संस्थानों में से किसी एक से एक व्यावसायिक, पेशेवर सर्टिफिकेट या डिग्री हासिल की होगी। इन आँकड़ों से यह संकेत भी मिलता है कि हम देश की स्वतंत्रता के बाद से बहुत आगे तक पहुँच चुके हैं – तब इन संस्थानों की संख्या केवल 350 थी।

राष्ट्रीय शिक्षक-शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) शिक्षक-शिक्षा संस्थानों के प्रबन्धन की सर्वोच्च संस्था है। इसकी मुख्य भूमिका 'सम्पूर्ण देश में शिक्षक-शिक्षा व्यवस्था को योजनाबद्ध और संयोजित तरीके से विकसित करना है'[1] और इसमें शिक्षक-शिक्षा व्यवस्था को संचालित और मॉनिटर करना भी शामिल है। इसके लिए उनके पास शिक्षक-शिक्षा के तहत लगभग हर बात पर काम करने का अधिकार है जिसमें अनुमति देने से लेकर पाठ्यक्रम चलाने और शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यताएँ तय करने तक के मुद्दे आते हैं।

इस लेख में शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को पकड़ने की कोशिश की गई है। इसमें शिक्षक-शिक्षा संस्थानों की हालत और शिक्षक-विकास से सम्बद्ध पहलुओं से लेकर शिक्षकों पर लागू होने वाली नीतियाँ तथा शिक्षक-प्रबन्धन के पक्ष शामिल हैं। सुधार के लिए मुख्य विचार लेख के प्रत्येक खण्ड के अन्त में दिए गए हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई अन्य विचार नहीं हो सकते लेकिन प्रत्येक खण्ड के तहत शिक्षक-शिक्षा में बेहतरी के लिए बुनियादी पहलुओं को चिह्नित करने की कोशिश की गई है।

शिक्षक-शिक्षा संस्थाएँ

शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं की संख्या 18,000 से भी अधिक है। तालिका-1 के आँकड़ों से संकेत मिलता है कि कुल में से 80% सरकारी स्कूल हैं और कुल विद्यार्थियों तथा शिक्षकों का 65% इस व्यवस्था में हैं। लेकिन जब हम शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं की संख्या का विश्लेषण करते हैं, तो पाते हैं कि यहाँ निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों

शिक्षक-शिक्षा संस्थाएँ

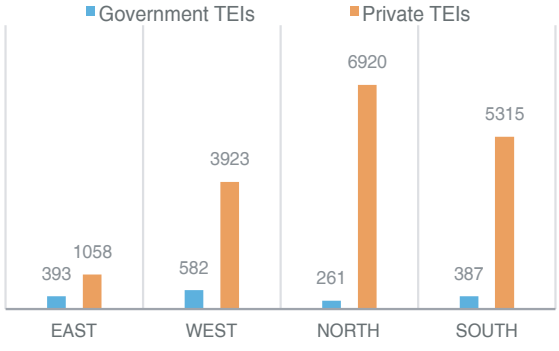

[1]NCTE at a Glance; Objectives http://ncte-india.org/ncte_new/?page_id=782

का बोलबाला है – देश भर की शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं का 90% से अधिक का प्रबन्धन निजी हाथों में है। संकेत यह मिलता है कि निजी क्षेत्र ने मौका हथिया लिया और सरकार स्कूली-शिक्षा से बढ़ती माँग की गति के साथ नहीं चल पाई। सरकार ने स्कूल तो बनाए लेकिन पर्याप्त शिक्षक मुहैया करवाने का ध्यान निजी हाथों पर छोड़ दिया गया और यह बात देश के सभी क्षेत्रों के लिए सत्य है। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि एक ही क्षेत्र के भीतर राज्यों में असमान वितरण है।

देश में कम ही अच्छी शिक्षक-शिक्षा संस्थाएँ हैं जो निजी होने के बावजूद व्यापारिक लाभ के लिए न हों; इनमें से बहुमत तो उनका है जिन्हें 'शिक्षा की दुकानें' कहा जा सकता है या 'दाम' के एवज में डिग्रियाँ बाँटने वाली एजेंसियाँ। मात्रा के साथ गुणवत्ता तो नहीं ही रखी गई।

दूसरी ओर सरकारी क्षेत्र में 571 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आइ.ई.टी. - डाइट),106 शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय (सी. टी.ई.), 32 शिक्षा में विकसित अध्ययन संस्थान (आइ.ए.एस.ई.) और 33 राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस. सी.ई.आर.टी.)/राज्य शिक्षा संस्थान (एस.आइ.ई.) हैं जिनकी उत्पत्ति 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद 8वीं योजना के काल से है। शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ रचनात्मक काम हुआ है, वह इन संस्थानों में हुआ है लेकिन इन सभी में योगदान की गुणवत्ता में असमानता है। हालाँकि इन्हें भारत सरकार से समर्थित केन्द्रीय परियोजना के तहत स्थापित किया गया था, इनमें से कई संस्थाएँ खराब मूलभूत ढाँचा, बड़ी संख्या में खाली पड़े पद, उच्च गुणवत्ता के अकादमिक नतीजों की कमी आदि कई तरह की समस्याओं से ग्रस्त हैं — जिसकी वजह से किसी भी तरह की प्रगति होना असम्भव हो जाता है (अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन, 2010)।

देश भर में फैली शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं के हालात को उजागर करने वाले कई अध्ययन और रपटें हमारे बीच हैं। जस्टिस वर्मा कमीशन (जे.वी.सी.) की रिपोर्ट इनमें सबसे महत्वपूर्ण है।[2] 2012 में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त इस कमीशन की रिपोर्ट शिक्षक-शिक्षा यानी शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं के केन्द्र में मौजूद बीमारी और बुरी हालत को उजागर करती है। यह न केवल महाराष्ट्र में शिक्षक-शिक्षा को नियन्त्रित करने में एन.सी.टी.ई. की असफलता का कटु चित्रण है बल्कि शिक्षक-शिक्षा के नाम पर जो कुछ भी पूरे मुल्क में है, उसका ही एक आईना है।

शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं के सम्बन्ध में मुख्य, महत्वपूर्ण सुधार :

- *इस समय अस्तित्व में सब निजी शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं की समीक्षा हो और नियमों का पालन न करने वाली तथा एक शिक्षक-शिक्षा संस्था कैसी होनी चाहिए, इस भावना को न समझने वाली संस्थाओं पर रोक लगे – दूसरे शब्दों में, शिक्षा की डिग्रियाँ बाँटती फिरती 'दुकानों' को बन्द किया जाए। लेकिन साथ ही, सरकारी शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत है। जहाँ आवश्यकता हो, उन्हें अपग्रेड किया जाए, ताकि जो लोग शिक्षक-शिक्षा में अध्ययन करना चाहते हैं, उन्हें एक अच्छी शिक्षक-शिक्षा संस्था में ऐसा कर पाने का मौका मिले।*

पेशेवर विकास के विभिन्न तौर-तरीकों के उदाहरण

- *शुरुआती दौर का प्रशिक्षण – अनुभवी शिक्षकों, प्राचार्यों या विशेषज्ञों को नए शिक्षकों की कक्षाओं के अवलोकन के लिए प्रशिक्षक के तौर पर चिह्नित किया जा सकता है।*
- *समकक्षों से सीखना – स्कूल का नेतृत्व करने वालों द्वारा सारणियों को इस प्रकार सुनियोजित किया जाए कि शिक्षक काफी समय इकट्ठे योजना बनाने में, एक – दूसरे की कक्षाएँ देखने और प्रतिक्रिया देने में बिताएँ।*
- *स्कूल से बाहर सीखने के समुदाय – स्वैच्छिक पेशेवर-शिक्षक विकास नेटवर्क (उदाहरण के लिए राजस्थान, उत्तराखण्ड और कर्नाटक) तथा आइ.सी.टी.-समर्थित ऑनलाइन विषय-शिक्षक समूह (उदाहरण के लिए – आर.एम.एस.ए. कर्नाटक)।*
- *संसाधन केन्द्र – जिला, खण्ड और क्लस्टर केन्द्र प्रिंट तथा डिजिटल, दोनों तरह के भरपूर संसाधनों समेत पाठ्यक्रम-सामग्री के संग्रहालय की भूमिका निभाएँ - वे शिक्षकों को कक्षाओं के लिए तैयार होने और स्व-निर्देशित अध्ययन पर काम के लिए तैयार होने में मदद करें।*
- *प्रदर्शन-कक्षाएँ – अपने विषय और शिक्षा-शास्त्र में निपुण शिक्षक अन्य शिक्षकों के लिए प्रदर्शन-कक्षाएँ लगाएँ। इस प्रकार अन्य शिक्षक अवलोकन करते हुए उनसे सीख सकते हैं। इस तरह की कक्षाओं के संग्रहण और उन्हें सब शिक्षकों के साथ साझा करने के लिए आई.सी.टी. (सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी) का प्रयोग किया जा सकता है।*
- *शोध/उच्च अध्ययन के लिए अवकाश; सेमिनार, भ्रमण, पेशेवर शोध-पत्रिकाओं तथा ई-ज्ञान समुदायों तक पहुँच आदि।*

[2] *JVC Report mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/JVC%20Vol%201.pdf*

शिक्षक-शिक्षा और शिक्षकों/शिक्षक-शिक्षकों का पेशेवर विकास

शिक्षण एक पेशा है और शिक्षक पेशेवर व्यवसायी हैं। इसलिए इस पेशे में एक विशेष स्तर बनाकर रखने की जरूरत है। लेकिन एक शिक्षक के लिए योग्यता की शर्तें इसका संकेत नहीं देतीं। हमारे मुल्क में एक प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने के लिए आवश्यक बुनियादी सत्यापन डिप्लोमा का है जो कक्षा-12 के बाद दो साल की पढ़ाई करके प्राप्त होता है, और जिसे कई नामों से जाना जाता है लेकिन सबसे प्रचलित डी.एड. (शिक्षा में डिप्लोमा) है। और किसी भी माध्यमिक (सैकण्डरी) स्कूल में शिक्षक होने के लिए आपको बी.एड. (शिक्षा में स्नातक) होना होता है जो कुछ ही समय पहले तक स्नातक होने के बाद मात्र 9 महीनों में हासिल किया जा सकता था! 2014 के एन.सी.टी.ई. के संशोधनों[3] के तहत यह अवधि बढ़ाकर दो साल कर दी गई। दुर्भाग्य से हमारे अधिकतर प्री-प्राइमरी उपक्रमों के लिए 'शिक्षक' बनने के लिए किसी भी योग्यता की आवश्यकता नहीं है!

देश में चल रहे शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों की विषयवस्तु में न भी जाएँ तो उनके समयकाल से ही उनके अपर्याप्त होने की बात दिखाई दे जाती है – कुछ ही समय पहले तक, नौ महीनों के पाठ्यक्रम से प्राप्त पेशेवर योग्यता 15 साल के बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक थी! एन.सी.टी.ई. को कितना समय लगा बी.एड. और एम.एड., दोनों के समयकाल को दो साल का करने में (जब कि. शिक्षक-अध्यापक बनने के लिए एम.एड. अनिवार्य है)। न केवल यह कि इतने कम पाठ्यचर्या-सम्बन्धी सुधार के साथ बी.एड. प्रोग्राम के समयकाल में बढ़ोतरी अपर्याप्त है, बल्कि यह किसी भी तरह का वांछित बदलाव ला पाने के लिए पूर्ण तौर पर बेअसर है।

शिक्षक-तैयारी की गुणवत्ता में बुनियादी परिवर्तन के बिना शिक्षक-शिक्षा में कोई भी लम्बे दौर का बदलाव नहीं होगा। इसमें पाठ्यचर्या, समयकाल और संस्थागत गुणवत्ता शामिल हैं। इस क्षेत्र में जरूरी मुख्य सुधार आवश्यक योग्यता को तथा शिक्षक-शिक्षा के समयकाल को सुव्यवस्थित करना है :

- *देश भर में, शिक्षक बनने के लिए बस एक ही विकल्प मुहैया करवाएँ – विषय (भाषा, गणित आदि) तथा ग्रेड-स्तरीय विशिष्टताओं (प्रारम्भिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण तथा शुरुआती शिशु शिक्षा) के विकल्पों के साथ चार-वर्ष का एकीकृत शिक्षक-शिक्षा प्रोग्राम।*

वर्तमान सेवाकालीन शिक्षक-शिक्षा भी कार्यरत शिक्षकों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। शिक्षकों को मुहैया करवाई गई अकादमिक सहायता की गुणवत्ता आशा से बहुत कम है – संसाधनों की कमी, कई तरह की व्यावसायिक सीमाओं तथा काम में लगाई गई मेहनत की कमी की वजह से।

इस सम्बन्ध में सुधार का मुख्य विचार यह है :

- *सेवाकालीन कार्यक्रमों के ध्यान के केन्द्र को बदलते हुए शिक्षक को प्रशिक्षण-कार्यक्रमों का चुनाव करने की छूट देना। सम्बद्ध शिक्षक-शिक्षा संस्थाएँ एक साल में पाठ्यक्रमों का कैलेण्डर मुहैया करवाएँ जिसमें से शिक्षक अपने लिए चुनाव कर पाएँ। इसी तर्ज पर शिक्षकों को अध्ययन के लिए छुट्टी, फेलोशिप, शोध के लिए मदद, अध्यापकगण के आदान-प्रदान और चुनाव की सख्त शर्तों के आधार पर चिह्नित संस्थाओं में पेशेवर विकास के हिस्से के तौर पर नई बातों से परिचय सम्बन्धी भ्रमण के लिए भेजना चाहिए।*

शिक्षक-शिक्षक की गुणवत्ता

शिक्षकों की गुणवत्ता में बहुत हद तक तथा लम्बे दौर तक रहने वाली बेहतरी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक-शिक्षकों की गुणवत्ता को बेहतर और दीर्घायु बनाया जाए। शिक्षक-शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए ये बातें शामिल होंगी – शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (2009) के आधार पर एम.एड. कार्यक्रम की पाठ्यचर्या, समयावधि और संरचना में फेर-बदल और नयापन लाना, तथा शिक्षक-शिक्षकों के स्वैच्छिक पेशेवर नेट्वर्कस की स्थापना जिनमें व्यावसायिक आदान-प्रदान तथा विकास के लिए भौतिक और आइ.सी.टी. समर्थित वर्चुअल (आभासी) मंच शामिल हों।

शिक्षक-शिक्षा तैयारी में बेहतरी के लिए पहला कदम तो एम.एड. कार्यक्रम की अवधि को बढ़ाकर दो साल कर दिए जाने से उठा लिया गया है। पूरे देश के सभी राज्यों में इस तरह के फेर-बदल वाले प्रोग्राम को चलाने में सक्षम कम से कम एक सौ ऐसी संस्थाएँ चिह्नित की जानी चाहिए कि वे ऐसे कार्यक्रमों को साकार रूप दें।

शिक्षक-शिक्षकों के सम्बन्ध में सुधार का मुख्य विचार यह है:

- *बारहवीं पंचवर्षीय योजना की सिफारिश के अनुसार प्रत्येक राज्य में कम से कम 500 अलग से दिखाई देने वाले शिक्षक-शिक्षकों का समूह और शिक्षक-शिक्षकों के लिए एक अलग कर्मचारी-दल विकसित किया जाए।*

शिक्षक-प्रबन्धन : प्रथाएँ और नीतियाँ

1950 के दशक से लगभग सभी महत्वपूर्ण रिपोर्टों ने व्यवस्था में शिक्षक-प्रबन्धन से सम्बन्धित संकेतों पर ध्यान केन्द्रित करने के महत्व पर बल दिया है। यह नीति सम्बन्धी दस्तावेजों में लगातार चलता विषय है, वह चाहे 1964 का राष्ट्रीय शिक्षा आयोग हो या

[3] *NCTE Act 2014 ncte-india.org/ncte_new/?page_id=910*

फिर 1968, 1986 और 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 'शिक्षक' पर एक अलग खण्ड है।

शिक्षक स्वायत्तता की आवश्यकता

शिक्षक सीधे तौर पर उन दिक्कतों को अनुभव करता है जिनका सामना बच्चों को सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई बाधाओं से दो-चार होते हुए करना पड़ता है। स्कूल से बाहर के प्रत्येक बच्चे को एक विद्यार्थी के रूप में परिवर्तित करना होगा। केन्द्र, राज्य या जिला स्तर पर तय किए गए लक्ष्यों की बजाए प्रत्येक स्कूल और शिक्षक को अपनी दृष्टि से सोचने तथा शैक्षिक गतिविधियों की योजना बनाने की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन असल में तो शिक्षक-प्रशिक्षण भी केन्द्रीय स्तर से सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित है। स्कूलों और शिक्षकों को स्वायत्तता पृथकता में, बिल्कुल अलग से नहीं मिल सकती। इसके लिए राज्य-स्तरीय संस्थाओं की स्वायत्तता से शुरू होकर 'डाइट' जैसी जिला-स्तरीय संस्थाओं तक अलग-अलग स्तरों की और अलग-अलग तरह की व्यवस्थागत स्वायत्तता की जरूरत होगी। इसी तरह के बड़े बदलाव स्कूलों और शिक्षकों के स्तर पर आवश्यक जमीनी परिवर्तनों की लिए गुंजाइश बनाएँगे।

शिक्षक भर्ती, पदोन्नतियाँ एवं तबादले

इस समय देश में प्रशिक्षित शिक्षकों का जबरदस्त अभाव है और मौजूदा शिक्षकों में उपयुक्त गुण नहीं हैं।

सम्पूर्ण देश के लिए प्राइमरी स्तर पर औसत विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात 24:1 है, जो बहुत ही अच्छा है, और उच्च-प्राइमरी स्तर पर भी इतना ही अच्छा, 17:1 है (यू-डी.आइ.एस.ई 2014-15); उत्तर प्रदेश में यह स्वीकार्य स्तर का, यानी 39:1 – और यह पूरे देश में सबसे अधिक है! लेकिन यह भी सब जानते हैं कि ये आँकड़े सही तस्वीर नहीं दर्शाते। कई स्कूल हैं जहाँ विद्यार्थियों की संख्या अत्यधिक है और शिक्षक बहुत ही कम – या फिर इसका उलट भी है। देश भर के एक लाख से भी अधिक स्कूल एकल-शिक्षक संस्थाएँ हैं (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट, 2014-15)। शिक्षकों को बहुत-सा ऐसा काम करना पड़ता है जो स्कूल से सम्बद्ध नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखें तो कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों का बिताया गया समय बहुत ही अपर्याप्त है।

विभिन्न राज्यों में प्राइमरी स्तर पर एकल विद्यालयों के प्रतिशत में बहुत अधिक अन्तर हैं : अरुणाचल प्रदेश (48.8%), गोवा (39.5%), राजस्थान (25%), आंध्र प्रदेश (24%), कर्नाटक (14.9%), हिमाचल प्रदेश (11.2%), बिहार (12.3%) तथा ओडिशा (9.2%)।

स्रोत: डी.आइ.एस.ई. 2013-14

इसके अलावा विशिष्ट विषयों के लिए शिक्षकों की घोर कमी है, विशेषतौर से दूर-दराज के और जनजातीय इलाकों में। साथ ही, माध्यमिक स्तर पर विज्ञान, गणित और भूगोल के शिक्षकों की पूरे देश में कमी है, जो निकट भविष्य में और प्रखर होने वाली है। विद्यार्थियों की कमी की वजह से विज्ञान में स्नातक प्रोग्राम बन्द हो रहे हैं, जबकि यही वह रास्ता है जिसके माध्यम से हम माध्यमिक स्तर के विज्ञान और गणित शिक्षक विकसित करते हैं। अगर यह 'पाइपलाइन' बन्द हो जाती है तो माध्यमिक स्तर के लिए विज्ञान और गणित के योग्य शिक्षकों की उपलब्धता का संकट गम्भीर तौर पर गहरा जाएगा।

एक ओर तो नए शिक्षकों का बहुत अभाव है, दूसरी ओर मौजूदा शिक्षकों में बड़ा प्रतिशत ऐसे शिक्षकों का है जिनमें गुणवत्ता नहीं है और इसके साथ ही मुद्दा है भाई-भतीजावाद का, जिसने देश भर में शिक्षक-भर्ती और प्रबन्धन की प्रक्रियाओं को संचालित किया है। हम अकसर सरकारी शिक्षक की नौकरी के 'रेट' के बारे में सुनते हैं। यह स्कूल के स्तर और उसके स्थान पर निर्भर करता है और आपकी शैक्षिक योग्यता की इसमें कोई भूमिका नहीं रहती।

अध्ययनों (रामचन्द्रन आदि, न्यूपा, 2015) ने दिखाया है कि पूरे देश के स्तर पर मौजूदा प्रथाओं में बहुत अन्तर हैं और राज्यों में अब भी अस्थाई कदम ही उठाए जाते हैं। लेकिन करीब एक दशक से कुछ राज्य सरकारों ने भाई-भतीजावाद समेत हर तरह के भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने के लिए पहलकदमियाँ ली हैं जिनके चलते शिक्षक-प्रबन्धन प्रक्रिया बहुत हद तक व्यवस्थित हुई है। दक्षिणी राज्यों ने इस मामले में नेतृत्व दिया है और शिक्षक-भर्ती तथा प्रबन्धन प्रक्रियाओं को बहुत पारदर्शी बना दिया है (कर्नाटक के उदाहरण के लिए देखें बॉक्स)। मगर इन बेहतर प्रथाओं का सब राज्यों ने अनुसरण नहीं किया और जब तक ऐसा नहीं होता, तब

शिक्षा अधिकार कानून की सिफारिश थी कि सब नए शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षक योग्यता परीक्षा (टी.टी.ई.– टेट) हो। कर्नाटक जैसे राज्यों में भर्ती की प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर सार्वजनिक प्रवेश परीक्षा (कॉमन एन्ट्रेंस टेस्ट – सी.ई.टी.) को लागू किए जाने की व्यवस्था पहले से कायम थी। उदाहरण के लिए, इसी उद्देश्य से एक केन्द्रीय प्रवेश कक्ष (सेन्ट्रल एड्मिशन सेल) बनाया गया जो न केवल शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों के लिए दाखिलों को देखता था बल्कि शिक्षकों की भर्ती परीक्षाओं को भी कार्यान्वित करता था। इन योग्यता परीक्षाओं के बाद 'परामर्श (काउंसलिंग)' होता था और सी.ई.टी. में प्राप्त रैंक के आधार पर वह स्थान/स्कूल तय होता था जहाँ स्थापित शर्तों के भीतर रहते हुए शिक्षक को पहला कार्यस्थल मिलता था।

तालिका 2: कर्नाटक में शिक्षक-तबादले के लिए नियम

नियम	प्राथमिक स्कूल शिक्षक	माध्यमिक स्कूल शिक्षक
वरीयता-युनिट	जिला स्तरीय	डिवीजन स्तरीय
सक्षम अधिकारी	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बी.ई.ओ.) (नियुक्ति के अधिकारी)	डिप्टी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन (डी.डी.पी.आई.); जिला स्तरीय (नियुक्ति करने वाले अधिकारी)
	डिप्टी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन (डी.डी.पी.आई.) (चुनाव करने वाले अधिकारी)	जॉएंट डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन (जी.डी.पी.आई.); डिवीजन स्तरीय (चुनाव करने के अधिकारी)
तबादलों के द्वारा खाली पड़े स्थानों/पदों को भरने का हिसाब	पी.टी.आर.(विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात) = 40	विषयवार स्टाफ
कम्प्यूटरीकृत परामर्श	हाँ	
तबादले के लिए ऊपरी सीमा	वरीयता-युनिट के भीतर रहते हुए कर्मचारीगण का 8%*; वरीयता-युनिट के बाहर कर्मचारीगण का 1%	

**यह 2015 तक 5% था जब इसे अधिनियम में संशोधन करके 8% कर दिया गया।*

स्रोत : सी.बी.पी.एस 2015 से उद्धृत।

तक जो मुद्दे इस क्षेत्र के लिए परेशानी का कारण बनते रहे हैं, और जिनका सीधा असर शिक्षकों के उत्प्रेरण पर पड़ा है, उनका नकारात्मक प्रभाव बना रहेगा और नतीजे के तौर पर स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित रहेगी।

तालिका-2 में प्रदर्शित कर्नाटक के शिक्षकों की स्थानान्तरण-प्रक्रिया की ही तरह स्पष्ट नियम तय किए जाएँ तो यह शिक्षक-प्रबन्धन के क्षेत्र में गड़बड़ को ठीक करने की ओर पहला कदम होगा। एक बार शिक्षकों का विश्वास जीत लिया जाता है और शिक्षक-समुदाय को लगता है कि प्रक्रिया में कोई अनुचित साधन प्रयोग नहीं किए गए हैं तो परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी और मुश्किल सुधारों के लिए सकारात्मक भावना को सही दिशा दी जा सकेगी।

शिक्षकों के वेतन

आमतौर पर यह माना जाता है कि सार्वजनिक स्कूली व्यवस्था के शिक्षक सरकारी कर्मचारियों में सबसे कम वेतन प्राप्त करने वालों में से हैं। लेकिन आँकड़ों से दूसरे ही संकेत मिलते हैं। जैसा कि राज्य सरकारों द्वारा दावा किया जाता है, वर्तमान वेतन छठे वेतन आयोग के आधार पर और कुछ मामलों में सम्बद्ध राज्य आयोगों के

(चुनिन्दा राज्यों में) 'हाथ में आने वाला' वेतन, छठे वेतन आयोग से पहले और बाद में

	छठे वेतन आयोग से पहले		छठे वेतन आयोग के बाद	
	(न्यूनतम)	(अधिकतम)	(न्यूनतम)	(अधिकतम)
सरकारी प्राइमरी स्कूल शिक्षक	8697	9630	13762	21045
पी.एस.टी. 10 साल का अनुभव/मुख्य अध्यापक	11775	15635	20270	39831
डाइट प्राध्यापक/एम.ई.ओ./बी.ई.ओ.	11722	14762	22762	55082
डाइट प्रिंसिपल/डी.ई.ओ.	15635	35034	27547	60802
महिला/पुरुष डाकिया	2750		4700	18000
पी.एच.सी. नर्स	8427	19568	16298	46333
पुलिस कॉन्स्टेबल	6091	13691	10655	31499

	छठे वेतन आयोग से पहले		छठे वेतन आयोग के बाद	
	(न्यूनतम)	(अधिकतम)	(न्यूनतम)	(अधिकतम)
लाइनमैन (बिजली विभाग)		11228		16983
ग्रामीण अकाउन्टेन्ट			5200	20200
एस.एम.(स्टेशन मास्टर) – रेल्वे (गाँव स्तर पर)			14350	33000
बैंक कर्मचारी	8118		11495	28000
पोस्ट मास्टर				26076
पी.एच.सी. डॉक्टर	9809	33203	26108	59287
पुलिस इंस्पेक्टर	9090	21637	18760	49919
बैंक मैनेजर	18450		20359	35100

**अज़ीम प्रेमजी फ़ाउण्डेशन द्वारा धरातल पर अपने कार्यस्थलों से एकत्रित प्राथमिक आँकड़ों के उच्चतम और न्यूनतम बिन्दुओं पर आधारित।*

 # ये आँकड़े कुल वेतन (मूल + महँगाई भत्ता + गृह किराया भत्ता) का प्रतिनिधि हैं।

^ ऐसे राज्य भी हैं जहाँ वर्तमान प्रारम्भिक वेतन ऊपर कथित न्यूनतम से भी कम (उदाहरण के लिए तमिल नाडु: 15,000) और ऊपर कथित अधिकतम से अधिक है (उदाहरण के लिए पंजाब 36,000)। स्रोत: राज्यों की रिपोर्टें –भारत में शिक्षकों के काम की स्थितियाँ।

आधार पर तय किए जाते हैं। औसतन, प्रवेश के स्तर पर सरकारी प्राइमरी स्कूल शिक्षक को लगभग 20,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं और करीब 10 साल के अनुभव के बाद लगभग 32,000 रुपये प्रति माह। जिस बैण्ड में शिक्षकों का वेतनमान है, वह पुलिस कॉन्स्टेबल, बिजली कम्पनी के लाइनमैन, ग्रामीण अकाउन्टेन्ट, बैंक कर्मचारियों और स्टेशन मास्टरों से ऊपर है और अपने व्यावसायिक जीवन के अन्त तक पहुँचने पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डॉक्टर, नर्स, पुलिस इन्स्पेक्टर और बैंक मैनेजर ही ऐसे व्यवसायी हैं जिन्हें एक अनुभवी शिक्षक/ मुख्य अध्यापक से अधिक वेतन मिलता है। यहाँ दी गई तालिका से इस बात पर और अधिक रौशनी डालती है।

इसका अर्थ है कि शिक्षकों के वेतन पर कम ही ध्यान देने की जरूरत है। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की भी घोषणा की है जो वेतनों को और भी बढ़ाता है। यह भी सम्भावना है कि जिन राज्यों ने अब तक छठे वेतन आयोग को लागू नहीं किया है वे उसी के अनुरूप या सातवें आयोग से भी बेहतर स्तर पर अपने वेतन आयोग बैठाएँगे।

शिक्षक-प्रबन्धन के सम्पूर्ण क्षेत्र में सुधार का मुख्य विचार यह है:

- *शिक्षक प्रबन्धन को बहुत पारदर्शी बनाया जाए और शिक्षकों को बहुत स्वायत्तता दी जाए – कम से कम कक्षा के भीतर और पाठ्यक्रम के आदान-प्रदान के लिए तो जरूर। भर्ती की एक पारदर्शी नीति तथा तबादलों और पदोन्नति के लिए स्पष्ट तथा उचित नियम स्थिति में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह कुछ राज्यों में हुआ है और अन्य राज्यों में ऐसा ही करने की जरूरत है।*

शिक्षक-शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद (एन.सी.टी.ई.) पर पुनर्विचार और पुनर्दृष्टि की आवश्यकता

पिछले एक दशक में राज्य और उसके नीचे के स्तर की महत्वपूर्ण संस्थाओं ने तो नहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की अधिकतर संस्थाओं ने बहुत हद तक अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन यह बात शिक्षक-शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए स्थापित नियामक संस्था यानी एन.सी.टी.ई. के बारे में नहीं कही जा सकती।

एन.सी.टी.ई. को इस समय एक जाँच-परीक्षण से सम्बद्ध, मूलभूत ढाँचे की आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करने वाली नियामक संस्था के रूप में देखा जा रहा है न कि शिक्षक-शिक्षा में पेशेवर, व्यावसायिक मापदण्डों, अकादमिक कड़ाई और पाठ्यचर्या सम्बन्धी नवाचार पर विचार को नेतृत्व देने वाली संस्था के रूप में। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारत में शिक्षा को बेहतर करने के लिए शिक्षक-शिक्षा में बेहतरी लाना केन्द्र में होना होगा और उसके लिए पूरे पैमाने पर नीचे से व्यवस्था, पाठ्यचर्या और क्रियाकलापों की पुनर्रचना की जरूरत होगी। इस तरह के सम्पूर्ण फेर-बदल के लिए एक 'चैम्पियन' की जरूरत है न कि 'इंस्पेक्टर' की!

असल में तो एन.सी.टी.ई. इंस्पेक्टर के तौर पर भी असफल रही है। उसके कार्यों में से एक "शिक्षक-शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने

के लिए सब आवश्यक कदम उठाना" है ।[4] लेकिन करीब एक दशक से शिक्षक-शिक्षा में हुए व्यापक निजीकरण से संकेत मिलता है कि वह न केवल व्यापारीकरण को रोकने में बल्कि देश भर में शिक्षक-शिक्षा के नाम पर दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को नियमित और उसका परीक्षण करने में असफल रही है ।

इसलिए एन.सी.टी.ई. को एक बार फिर शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं पर नजर रखने की अपनी भूमिका पर दृष्टिपात करना चाहिए और शिक्षक-शिक्षा पर चल रही नई सोच के साथ तालमेल में रहना चाहिए जिसमें प्रस्तावित है कि सब शिक्षक-शिक्षा संस्थाएँ बहु-विषयक ज्ञानार्जन के माहौल में रहें और उन्हें विश्वविद्यालयों के तहत ले आया जाए । एक बार यह हो जाता है तो शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं को विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली को नियन्त्रित करने वाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) के माध्यम से संचालित किया जा सकता है । इसकी रोशनी में महत्वपूर्ण हो जाता है कि एन.सी.टी.ई. यू.जी.सी. के प्रयासों को ही न दोहराए बल्कि अन्य रचनात्मक गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करे ।

ए.सी.टी.ई. के सन्दर्भ में सुधार का मुख्य एजेण्डा :

- *एन.सी.टी.ई. या तो इन सब बातों की जोश के साथ पैरवी करे या फिर उसे बन्द कर दिया जाए । इस सन्दर्भ में एन.सी.टी.ई. के पास दो विकल्प हैं : (क) वह एक सहायक की भूमिका निभाए और व्यापक अकादमिक निर्देश विकसित करने के माध्यम से गुणवत्ता में मददगार हो : उदाहरण के लिए – तरह-तरह के शिक्षकों के लिए दिशा-निर्देश (न कि नियम) और विश्वविद्यालयों की सहायता हेतु शिक्षक-शिक्षा की पाठ्यचर्या-रूपरेखाएँ विकसित करे तथा/या एन.ए.ए.सी. (नैक) के तहत शिक्षक-शिक्षा के लिए स्तर-प्रमाणीकरण की संस्था बन जाए; (ख) यदि उपरोक्त बात सम्भव न हो तो वह अस्तित्वहीन हो जाए और शिक्षक-शिक्षा का स्वामित्व विश्वविद्यालयों को सौंप दे और नियंत्रण की कार्यप्रणाली यू.जी.सी. को सौंप दे ।*

कोठारी आयोग ने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 6% शिक्षा के लिए लगाए जाने की सिफारिश की थी लेकिन अब जब हम उस आयोग की रिपोर्ट की 40वीं वर्षगाँठ मना रहे हैं, हम मुश्किल से 4% का आँकड़ा नियमित रूप से पार कर पाए हैं । हमने (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आँकड़ों के मुताबिक) अब तक 1952 में शिक्षा पर जी.डी.पी. व्यय का 1% से भी कम से ले कर 4% से कुछ अधिक तक का सफर तय किया है (ए.बी.ई.; एम.एच.आर.डी. 2015) लेकिन यह हर साल घटता-बढ़ता रहता है और अब भी बहुत ही अपर्याप्त है ।

शिक्षक-शिक्षा को वित्तीय मदद

कोठारी आयोग तथा उसके बाद शिक्षा से सम्बद्ध सभी आयोगों और व्यक्तियों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि हमें घोषित शैक्षिक लक्ष्यों तक पहुँचना है तो उन उद्देश्यों तक पहुँचने के लिए राज्य को उनके अनुरूप और अनुपात में निवेश करना होगा । शिक्षा के लिए अपर्याप्त धन-राशि ने शिक्षक-शिक्षा को प्रभावित किया है क्योंकि शिक्षा के सम्पूर्ण बजट का एक बहुत छोटा प्रतिशत ही शिक्षक-शिक्षा के काम आया है ।

बारहवीं योजना में शिक्षक-शिक्षा

मार्च 2012 में केन्द्रीय सरकार ने बारहवीं योजना के लिए शिक्षक-शिक्षा परियोजना के संशोधन को अनुमोदित किया । योजना ने शिक्षक-शिक्षा परियोजना में बहुत बड़े परिवर्तन की सिफारिश करते हुए ग्यारहवीं योजना में बजट को 350 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1400 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष कर दिया है । परियोजना संस्थागत है और इसमें एस.सी.ई.आर.टी., डाइट, सी.टी.ई., आइ.ए.एस.ई. तथा अभी नई बनी बी.आई.टी.ई. (ब्लॉक इंस्टिट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन) संस्थाओं के लिए धन निर्धारित है और काम के केन्द्र में पहुँच बनाना, गुणवत्ता तथा इन सब संस्थाओं के लिए एक विस्तारित भूमिका है (मसलन, डाइट अब माध्यमिक क्षेत्र में भी काम करना शुरू करेंगी) । साथ ही शिक्षक-शिक्षकों का एक कार्यकर्ता-समूह बनाने, शिक्षकों/शिक्षक-शिक्षकों के पेशेवर विकास, इन सब संस्थाओं के आर-पार प्रौद्योगिकी और सहक्रियाओं/जुड़ावों को एकीकृत करने पर भी ध्यान रहेगा ।

शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र की मौजूदा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है कि इस सबको और अधिक बढ़ावा मिले । शिक्षक-शिक्षा से जरूरत और माँग केवल यह नहीं है कि शिक्षा का अधिकार के तहत प्राथमिक स्तर पर अभिभावक-शिक्षक अनुपात

इन सालों में शिक्षक-शिक्षा के लिए धन (एम.एच.आर.डी., 2012)

(क) *ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के पिछले कुछ सालों (2010-11) से शिक्षक-शिक्षा का सालाना बजट 500 करोड़ रुपये रहा है (500 करोड़ रुपयों में से 146.07 करोड़ रुपये 8 जनवरी 2012 तक जारी किए गए थे; और 500 करोड़ रुपयों का व्यय 2013-14 के लिए प्रस्तावित है)* ***(ख)*** *इससे पहले की परियोजना में एस.सी.ई.आर.टी. को सम्पूर्ण योजना-काल के लिए खर्च के सभी हिस्सों हेतु 2 करोड़ रुपये दिए गए थे, जो प्रस्तावित परियोजना में केवल मूलभूत ढाँचागत व्यवस्था की बेहतरी के लिए मुहैया रकम है* ***(ग)*** *इसी तरह, अन्य संस्थाओं के लिए भी धनराशियाँ निर्धारित की गई हैं ।*

[4] *NCTE at a Glance; Functions of the Council http://ncte-india.org/ncte_new/?page_id=782*

के नियमों को पूरा करने के लिए आवश्यक संख्या में शिक्षक हों और माध्यमिक स्तर पर उनकी कमी को पूरा किया जाए, बल्कि आवश्यकता शिक्षकों और शिक्षक-शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने की भी है। इसके लिए न केवल मौजूदा शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं की सामर्थ्य में विस्तार की आवश्यकता है (मूलभूत ढाँचे और मानव संसाधन, दोनों स्तर पर), बल्कि देश भर में स्कूल्स ऑफ एजुकेशन स्थापित करने की भी जरूरत है। और आवश्यकता शिक्षक-शिक्षा को उच्च-शिक्षा के क्षेत्र में ले जाते हुए उसे विश्वविद्यालयों के तहत लाने की भी है। इसका अर्थ है कि उच्च-शिक्षा पर व्यय को काफी बढ़ाना होगा।

शिक्षा के स्कूल स्थापित करने का महत्व

शिक्षा के क्षेत्र के लिए उपलब्ध होने वाले पेशेवरों को पैदा करने के लिए एक मुख्य समाधान केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्कूल स्थापित करने की योजना बनाना और लागू करना है। इस आवश्यकता के पैमाने को ध्यान में रखें तो प्रत्येक राज्य में कम से कम एक शिक्षा का स्कूल स्थापित करना होगा, और बड़े राज्यों के लिए एक से अधिक। उद्देश्य होना चाहिए कि स्नातक होकर निकलने वाले विशेषज्ञों की संख्या 5000 से 10,000 पेशेवरों के बीच तक हो जाए। यह एक लम्बी अवधि का काम है,जिसमें कुछ गम्भीर वित्तीय प्रतिबद्धता की आवश्यकता रहेगी।

लेकिन अगर हम अपने व्यवस्थागत सुधारों के बारे में गम्भीर हैं, तो इस मामले में किसी भी तरह का असमंजस नहीं होना होगा। सुधार का मुख्य विचार यह है :

- *बजट में बढ़ोतरी के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि अतिरिक्त धनराशि को सार्थक ढंग से इस्तेमाल किया जाए और किसी भी तरह के रिसाव को स्रोत पर ही रोका जाए।*

शिक्षक-शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल शुरुआत से पुन:निर्मित करने की जरूरत

हम जिस भीषण अवस्था में इस वक्त हैं, उससे निपटने के लिए जरूरी है कि शिक्षक-विकास और प्रबन्धन के सभी पहलुओं में पूरी तरह और तुरन्त बेहतरी लाई जाए। जस्टिस वर्मा कमीशन की सिफारिशें और एन.सी.एफ़.टी.ई. 2009 के दिशा-निर्देश अपनी सम्पूर्णता में बेहतरी के लिए इस योजना हेतु जरूरी हैं। ये दिशा-निर्देश मोटेतौर पर लम्बी अवधि के सेवा-पूर्व शिक्षक-शिक्षा प्रोग्राम, सही अर्थों में पेशेवरों के विकास के लिए पाठ्यचर्या-पुनर्गठन, अन्य विषय-क्षेत्रों/ विभागों के साथ अकादमिक संस्थाओं के एकीकरण और सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी) के पहले से अधिक प्रयोग की पैरवी करते हैं। इसे अधिक बल देने के लिए शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं का एक-दूसरे के साथ जुड़ाव, नियमित आधार पर उनकी ग्रेडिंग और इन संस्थाओं के लिए एक शक्तिशाली नियामक कार्यप्रणाली का प्रबन्ध किए जाने के सुझाव भी आए हैं।

और अन्त में शिक्षा के अधिकार, एन.सी.एफ़.टी.ई. 2009 और बारहवीं योजना के दिशा-निर्देशों के साथ तालमेल में शिक्षक-शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय दृष्टि बनाने की भी तुरन्त आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो भी किया जाता है, वह शिक्षा व्यवस्था के सभी हिस्सों के लिए एकीकृत योजना होनी चाहिए। इस एकीकृत नजरिए को भूतकाल की समस्याओं का हल निकालना होगा – यानी नीतियों और उनके क्रियान्वयन के बीच के अन्तर को दूर करना होगा। और सबसे आखिरी लेकिन इतनी ही जरूरी बात है कि शिक्षक-शिक्षा और शिक्षक-प्रबन्धन को पेशेवर रूप देने के लिए व्यवस्था में गहरे सांस्कृतिक परिवर्तन होने होंगे जो ईमानदारी, सामर्थ्य और विकेन्द्रीकरण की बुनियाद पर टिके हों और हमें दशकों पुरानी कठोरता, नियंत्रण और अच्छी शिक्षा के लिए बस बोलने भर की बात से दूर ले जाए।

References:

Government Notifications / Reports / Websites

Planning & Monitoring Unit; MHRD. Analysis of budgeted expenditure on education 2011-12 to 2013-14, MHRD, New Delhi, 2015

Joint Review Missions (JRM), MHRD, 2015

www.teindia.nic.in/**jrm**.aspx)/**mhrd**.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/**JRM**

National Council for Teacher Education (NCTE) ACT, 2014

www.ncte-india.org

ncte-india.org/ncte_new/?page_id=910

NCTE at a glance; Objectives / Functions of the Council

http://ncte-india.org/ncte_new/?page_id=782

http://ncte-india.org/ncte_new/?page_id=782

Justice Verma Commission (JVC) recommendations, MHRD, 2012

mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-**reports**/JVC%20Vol%201.pdf

Articles / Research Reports

Comments and Suggestions to inputs on the draft New Education Policy, Azim Premji Foundation, August 2016

Ramachandran, et al. *Teachers in the Indian Education System: How we manage the teacher work force in India*, NUEPA, December 2015

Minni, Puja; Jha, Jyotsna. *National Study on Working Conditions of Teachers: Karnataka State Report*, Centre for Budget and Policy Studies (CBPS), Bangalore, February 2015

Knowledge resource Centre. *Changes in the educational Budget of Central Government*, Azim Premji Foundation, June 2015

Behar, Anurag. *Education agenda for the new Government*, The Mint, March 2014